हिंदू राष्ट्र में बदलता देश...मुस्लिम कैदी की पीठ पर जबरन 'ॐ' लिखा

दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैदियों को भी सांप्रदायिक आधार पर बांटा जा रहा है

मजदूर मोर्चा ब्यूरो

नई दिल्ली : भारत को हिंदू राष्ट्र में बदलने की मुहिम के तहत जेल में बंद मुस्लिम कैदियों तक को निशाना बनाया जा रहा है। ताजा मामला दिल्ली की तिहाड़ जेल का है। तिहाड़ जेल के एक कैदी का आरोप है कि जेलर (जेल सुपरिटेंडेंट) ने उसकी पीठ पर 'ॐ' (ओम) का टैटू दाग दिया है। कैदी ने कड़कडडूमा कोर्ट में इस बारे में एक शिकायत दर्ज कराई है। नाबिर नाम के इस कैदी का कहना है कि उसे मुस्लिम होने की सजा दी गई है।

इस मामले को लेकर तिहाड़ जेल के डीजी का कहना है कि डीआईजी ने जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही कैदी को दूसरी जेल में भेज दिया गया है। इस बारे में विस्तृत रिपोर्ट अदालत को सौंप दी जाएगी। यानी इस मामले में किसी पर भी जिम्मेदारी नहीं डाली गई और न ही कोई दंड दिया गया। दूसरे जेल में कैदी को स्थानान्तरित कर अपनी जिम्मेदारी जेल प्रशासन ने पूरी कर ली है।

नाबिर नामक इस कैदी की न्यायिक हिरासत बढ़ाने के लिए उसे गुरुवार को कड़कड़डूमा कोर्ट में पेश किया गया था। कैदी ने मैजिस्ट्रेट के सामने ही अपनी टी-शर्ट उतारकर 'ॐ' का निशान दिखाया तो हर कोई हैरान रह गया।

कैदी ने कोर्ट के सामने तिहाड़ प्रशासन पर मारपीट, गर्म लोहे की रॉड से 'ॐ' दागने और जबरन व्रत रखवाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। अदालत ने तिहाड़ प्रशासन को जांच के निर्देश देकर 24 घंटे में जवाब तलब कर लिया।

कैदी के मुताबिक यह 17 अप्रैल की घटना है। न्यू सीलमपुर का रहने वाला नाबिर उर्फ साबिर आर्म्स सप्लाई के केस में न्यायिक हिरासत में है। उसे जेल नंबर-4 के हाई रिस्क वार्ड में रखा गया था। नाबिर ने जेल नंबर-4 के सुपरिटेंडेंट पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नाबिर का आरोप है कि सुपरिटेंडेंट ने कुछ लोगों के साथ मिलकर उसकी पिटाई की और उसकी पीठ पर लोहे की गर्म रॉड से करीब पांच इंच बड़ा 'ॐ' का निशान दाग दिया। पीठ पर सिगरेट से भी दागे जाने के निशान हैं। आरोप यह भी है कि नाबिर को दो दिन भूखा रखा गया।

मैजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में जेल प्रशासन को उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं. कहा कि है कि जेल में सीसीटीवी कैमरों और अन्य कैदियों के बयान पर आधारित रिपोर्ट पेश की जाए। कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई की तारीख 22 अप्रैल तय कर दी है।

मेवला महाराजपुर अंडरपास: रिश्वतखोरी व हरामखोरी का एक नमूना, तीन साल में 21.52 करोड़ खर्च कर भी काम अधूरा

फ़रीदाबाद (म.मो.) जनता की भलाई के नाम पर, जनता के पैसे का सरकार कैसे दुरूपयोग करती है, उसका एक छोटा सा नमूना है मेवला महाराजपुर का अंडरपास । सन 2015 में इसके निर्माण की योजना स्वीकृत हो गयी थी। वर्ष 2016 के आरम्भ में रेलवे ने अपना काम शुरू कर दिया था। इस प्रोजेक्ट में चलती रेलवे लाइन के नीचे से सड़क निकलने का काम सबसे महत्वपूर्ण व जोखिम भरा था। इसे रेलवे ने करीब 6 माह में पूरा कर दिया।

इस दौरान, यदि हरियाणा सरकार के 'हूडा' विभाग में तैनात हरामखोर अधिकारियों की नीयत ठीक होती तो वे दोनों ओर के रैम्प (सड़कें) बनाने से सम्बन्धित तमाम काग़जी कार्यवाही यानी डिज़ाइन, एस्टीमेट व टेंडर आदि की प्रक्रिया पूरी कर सकते थे और रेलवे का काम पूरा होते ही अधिक से अधिक अगले 6 माह में अंडरपास के दोनों ओर की ढलान सड़कें बना सकते थे। ऐसे में यही अंडरपास 2016 में जनता के आवागमन हेतु उपलब्ध हो सकता था। परंतु हरामखोरी पर तुले 'हूडा' अधिकारियों ने ऐसा नहीं किया। देर से किया भी तो क्या किया? पहला डिज़ाइन ग़लत बनाया, 11.87 करोड़ का बजट बना कर टेंडर छोड़ दिया। काम शुरू होने के बाद हरामखोरों को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ तो दोबारा से डिज़ाइन बनाया गया। दूसरे डिज़ाइन में गांव की तरफ वाली साइड में एक मोड़ के साथ -साथ बरसाती पानी की निकासी हेतु संपवैल का प्रावधान किया गया। इन बदलावों के चलते बजट में 9 करोड़ 65 लाख की वृद्धि हो गयी, समय जो बर्बाद हुआ वह अलग से।

दो बार डिज़ाइन बनाने के बावजूद अभी भी डिज़ाइन में त्रुटियां हैं। सबसे बड़ी त्रुटि तो गांव की ओर चढने वाली ढलान में है। यह राजमार्ग की ओर से रेलवे लाइन की ओर जाने वाली सही ढलान से दुगणे कोण पर है, यानी अपेक्षाकृत अधिक सीधी चढाई है जिसे बाद में कभी न कभी ठीक करना ही पड़ेगा। इस सबके बावजूद कोई यह पूछने वाला नहीं है इस देश में कि पहला डिज़ाइन ग़लत क्यों बना और दूसरे डिज़ाइन में भी इतनी बड़ी त्रुटि क्यों रह गयी? पूछे कौन, सारे तो चोर इकट्ठे हैं। जितना समय अधिक लगेगा उतना ही बजट बढेगा और जितना बजट बढेगा उतनी ही अफ़सरों नेताओं की लूट-कमाई बढेगी। इस लिये कोई क्यों बोले; वरना ग़लत डिजाइन बनाने वाले नौकरी से बर्खास्त हो जाते तथा सरकारी धन के अपव्यय की रिकवरी उनसे की जाती। इस तरह का ड्रामा कोई पहली बार नहीं हो रहा है। हर सरकारी काम में यही सब होता आ रहा है।

ओल्ड फ़रीदाबाद वाले अंडरपास में तो इस से भी दोगुणा समय लगा था और बजट भी तीन बार बना था। उसके बावजूद हर बरसात में वह पानी से भर जाता है तथा सारा काम निहायत ही घटिया एवं त्रुटिपूर्ण है। अपनी उपलब्धियां गिनवाते समय नेतागण भौंकते हैं कि उन्होंने 22 करोड़ का अंडरपास बनवा दिया परन्तु यह पूछने वाला कोई नहीं कि 11 करोड़ का काम 22 करोड़ में क्यों व कैसे हुआ? इतना पैसा कौन-कौन डकार गये?

हत्यारे बेखौफ़, सेक्टर 22 में सरे राह हत्या

फ़रीदरबाद (म.मो.) कमज़ोर होते पुलिसिया सुरक्षातंत्र में अब हत्या, डकैती व बलात्कार जैसे जघन्य अपराध कोई आश्चर्य पैदा नहीं करते। लेकिन सेक्टर 22 में चलती सड़क पर, स्कूल की छुट्टी के समय, जब सैंकड़ों लोग़ों का आवागमन हो रहा होता है, दो हत्यारे एक व्यक्ति का मुंह फ़रसे से काट देते हैं, यह ज़्यादा चिंताजनक है। इससे भी ज़्यादा यह कि हत्यारों ने अपना चेहरा तक छिपाने का प्रयास नहीं किया, यानी वे पूरी तरह से बेखौफ़ थे। उन्हें अपने पहचाने जाने का भी कतई कोई भय नहीं था।

40 वर्षीय राहुल नहर पार के सेक्टर 88 का रहने वाला था जो पहले एनआईटी में ही रहता था। बेरोज़गार होने से पूर्व वह एक कम्पनी में मैनेजर था। 20-22 वर्षीय हत्यारे भाईयों के पिता ने सेक्टर 22 में ही सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा करके मंदिर बना रखा है, उसी मंदिर में पूजा-पाठ लंगर आदि का धंधा करके धर्म-भीरू लोग़ों को ठगता है। यानी जनता ऐसे तत्वों को खाद-पानी देकर पाल-पोस रही है। उधर जिस पुलिस तंत्र का दायित्व जनता के जान-माल की सुरक्षा करना है, उसने अब लगता है अपने इस दायित्व से पूरी तरह से हाथ झाड़ लिये हैं। हत्या, बलात्कार, डकैती, अपहरण आदि चाहे कुछ भी होता रहे, उनकी सेहत पर अब कोई असर नहीं पड़ता। अव्वल तो मुकदमा दर्ज करने से ही बचने की यथा संभव कोशिश की जाती है। बहुत मजबूरी हो तो केस दर्ज कर लिया जाता है। दोषी पकड़े जायें तो ठीक न पकड़े जायें तो भी कोई बात नहीं। पकड़े गये तो कोर्ट से जमानत पर रिहा हो जायेंगे नहीं तो जेल में आराम फ़र्मायेंगे। कमज़ोर प्रोसिक्यूशन के चलते अथवा गवाहों के अभाव में दोषी बड़ी हो ताते हैं। इस हत्याकांड को देखने वाले सैंकड़ों चश्दीद गवाहों में से शायद ही कोई गवाही देने का जोखिम उठाना चाहेगा, क्योंकि इस व्यवस्था में गवाहों की सुरक्षा का कोई इन्तज़ाम नहीं है।

जैसे-तैसे यदि केस सिरे चढ भी गया और दोषियों को सज़ा हो गयी तो 12-14 साल में जेल से वापस आकर फ़िर समाज में दनदनायेंगे। हत्यारे व जेल रिटर्न होने का तमगा लगा कर ऐसे लोग अपनी दहशत के बल पर जनता से खुलेआम वसूली करते हैं। आज समाज में जितने भी गुंडा गिरोह सक्रिय हैं रंगदारी वसूलते हैं, अपहरण आदि का धंधा करते हैं वे ऐसे ही अपराधी होते हैं। देश की आपराधिक न्याय व्यवस्था अपराध एवं अपराधियों की संख्या घटाने की अपेक्षा लगातार बढा रही है।

पुलिस जिसका सर्वप्रथम कर्त्तव्य नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना है, बल्कि उसको बनाया ही केवल इसी काम के लिये है। अब केवल नेताओं, उद्योगपतियों , वीआईपी आदि की सुरक्षा में ही व्यस्त रहती है। इसके बाद उसका दूसरा काम येन-केन प्रकारेन लूट-कमाई करना रह गया है। जुआ, सट्टे से होने वाली कमाई के साथ-साथ अब पुलिस नशे के कारोबार से भी कमाई करने में नहीं हिचक रही। पुलिस की ट्रेनिंग एवं कार्यशैली अब छोटे-मोटे अपराधों (पैटी ऑफ़ेंसेज) को रोकने व ऑर्डर बनाये रखने यानी हर कानून का पालन कराने में कोई रूचि नहीं रह गयी है। बाइक पर 3 जवान मुंह पर कपड़ा लपेट कर जा रहे हैं तो कोई पुलिस वाला उन्हें रोकता-टोकता नहीं। सड़कों को घेर कर वाहन खड़े हैं तो कोई पूछने वाला नहीं। बाजार व गली मुहल्लों में कोई दिन-रात लाऊड स्पीकर से शोर मचाकर कानून का उल्लंघन कर रहा है तो कोई नहीं पूछने वाला। इन सब बातों से समाज में जो वातावरण बनता है उसी से आज असुरक्षा का वातावरण बनता जा रहा है। पुलिस की कार्यशैली आज निहायत ही कमर्शियल हो चुकी है। मुकदमा दर्ज कराने की फ़ीस, धारायें लगवाने व हटवाने की फ़ीस, दूसरी पार्टी से मिल कर क्रॉस केस बना कर उल्टे पीड़ित पर ही दबाव बना दिया जाता है। मुकदमे से दोषियों के नाम काटने या जोड़ने का धंधा भी खूब चलता है। इसी के चलते पुलिस की छवि एवं इकबाल दिन ब दिन गिरता जा रहा है। परिणामस्वरूप पुलिस पार्टी पर हमले व उनकी पिटाई अब कोई आश्चर्यनजक बात नहीं रह गयी है। इन हालात में जनसाधारण की सुरक्षा राम भरोसे ही रह गयी है। हां, इस पूरी व्यवस्था का सत्यानाश करने वाले राजनेताओं ने जरूर अपनी सुरक्षा के लिये पूरी किलेबंदी कर ली है। जब भी निकलते हैं 10-20 बंदूक धारियों के घेरे में निकलते हैं।

सीआईए का छापा, कारोबार फ़िर भी जारी

फ़रीदाबाद (म.मो.) ओल्ड फ़रीदाबाद चौक व रेलवे स्टेशन के बीच स्थित संतनगर नामक स्लम बस्ती में अनिल गूजर का अवैध रूप से शराब बेचने व सट्टे का धंधा बड़े पैमाने पर काफ़ी समय से चलता आ रहा है। यह क्षेत्र पहले थाना सेंट्रल की चौकी सेक्टर 16 के अंतर्गत आता था, परन्तु अब यह क्षेत्र थाना सेक्टर 17 के अंतर्गत आता है। इस नये-नवेले थाने का क्षेत्र बहुत सीमित होने के चलते यहां लूट-कमाई के स्रोत बहुत ही सीमित हैं। ले-देकर संतनगर का क्षेत्र ही एक ऐसा स्रोत है जिस पर सेक्टर 16 की चौकी और थाना निर्भर करते हैं। पहले चौकी की मोटी मंथली करीब 40000 व थाने की नाम मात्र ही जाती थी, परन्तु अब थाने को भी मोटा हिस्सा चाहिये तो अनिल को अपना 'कारोबार' और बढाना पड़ा। इस चक्कर में सीआईए की मंथली में कुछ कटौती हो गयी तो उन्होंने 15 अप्रैल को अनिल के ठिकानों पर छापा मार कर एफ़आईआर नं. 115 दर्ज करा दी।

छापे के दौरान अनिल को न पकड़ कर उसके 6 कारिंदों (सूरज, विक्रम सिंह, जीतू, हरिया, सुशील, असलम) को गिरफ़्तार करने के साथ-साथ कुल 174 पव्वे विभिन्न ब्रांड की शराब कब्ज़े में ले ली गयी। लेकिन सीआईए पुलिस की इस कार्यवाही से अनिल के काले धंधे में केवल दो-चार घंटे का व्यवधान ही आया। उसके बाद सारा धंधा ज्यों का त्यों चल रहा है। सायं 5 से 9 बजे तक तो अनिल के अवैध डिपो पर शराब खरीदने वालों की लाइन ऐसे लगी होती है जैसे मुफ़्त में कोई माल बंट रहा हो।

इस धंधे के जानकार बताते हैं कि अनिल जैसे कारोबारी पुलिस को मंथली व अन्य फ़टीक देने के अलावा समय-समय पर केस भी देते हैं। यानी अपने ही एक-दो कारिंदे व थोड़ी- बहुत शराब पुलिस को स्वयं दे देते हैं। इससे पुलिस के काम का कोटा भी पूरा होता रहता है और कमाई का भी। आबकारी एक्ट में कोई विशेष सज़ा नहीं होती। यह मामूली एवं जमानती अपराध होता है। इस मामले में भी पकड़े गये छह के छह को तुरन्त थाने से ही जमानत मिल गयी। जमानत पर छूटते ही वे लोग़ फ़िर से आकर अपने धंधे में लग गये। इन्होंने अपने बयान में पुलिस को बताया था कि वे सभी तो नौकर हैं, उनका मालिक व कारोबारी तो अनिल है। नौकर यह बात न भी बताते तो भी पुलिस को पता है कि असल कारोबारी तो अनिल ही है।

बल्लबगढ़ क्षेत्र के कबूलपुर का मूल निवासी अनिल व उसका भाई यहां काफ़ी समय से बसा हुआ है। इस बस्ती में उसकी धाक का मुख्य आधार पूर्व मंत्री महेंद्र प्रताप को समझा जाता है। इस क्षेत्र में पूर्व मंत्री जी की कुछ ज़मीन है जिसमें मकान व दुकानें आदि बनी है। इन सबसे किराया वसूल कर पूर्व मंत्री जी के यहां पहुंचाने का काम यही अनिल बरसों से करता आ रहा है। महेन्द्र प्रताप का नाम जुड़ने से अनिल की ताकत बढनी स्वाभाविक ही थी सो निरंतर बढती रही क्योंकि सभी लोग उसे महेंद्र प्रताप का खास आदमी मानने लगे हैं। अपनी इसी ताकत के बल पर अनिल रेहड़ी वालों व अन्य लोग़ों से भी वसूली करता है जिसमें पुलिस का भी हिस्सा होता है। इस सबके चलते उसके पुलिस के साथ भी रिश्ते मजबूत एवं मधुर बने रहते हैं। इन रिश्तों के बल पर वह पुलिस की दलाली भी अच्छी खासी कर लेता है।